"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 155] रायपुर, शनिवार, दिनांक 30 जून 2012—आषाढ़ 9, शक 1934

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जून 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-2/2011/1-8 स्था.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सचिवालय सेवा में भर्ती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**— (1) ये नियम छत्तीसगढ़ सचिवालय सेवा भर्ती नियम, 2012 कहलायेंगे।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अधीन उस पर नियुक्तियां करने के लिए (अनुसूची-एक के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट) सशक्त प्राधिकारी;

(ख) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, इन नियमों के नियम 11 के अधीन सेवा में भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा;

(ग) "सरकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार;

(घ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

(ङ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्र. एफ 8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(च) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(छ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा-विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(झ) "चयन समिति" से अभिप्रेत है, शासन द्वारा अनुमोदित चयन समिति;

(ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सचिवालय सेवा;

(ट) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति समाविष्ट होंगे, अर्थात् :—

(क) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः धारण कर रहे हों;

(ख) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और

(ग) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची-एक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा:

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय-समय पर, या तो स्थाई या अस्थाई तौर पर, वृद्धि या कमी कर सकेगी.

6. **भर्ती का तरीका.**— (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती, निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात् :—

(क) प्रतियोगी परीक्षा /चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा, जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है।

(ग) ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मौलिक/स्थानापन्न रूप से धारण करने वाले व्यक्तियों के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाये।

(2) उप-नियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में यथाविनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के अनुसूची-दो में दर्शाए गए प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासन के परामर्श से अवधारित की जायेगी।

(4) उप–नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना अपेक्षित हो, तो शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति के साथ, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) सीधी भर्ती द्वारा पदों को भरे जाने के प्रयोजन के लिए, लिखित परीक्षा के पश्चात् एक चयन समिति गठित की जाएगी, जो इन मापदण्डों के अलावा अन्य युक्तिसंगत मापदण्ड शासन की सहमति से अपना सकेगी।

(6) भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति.**— इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जायेगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.**— प्रतियोगिता परीक्षा/चयन हेतु पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात्:—

(एक) आयु— (क) परीक्षा/चयन के प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची–तीन के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कॉलम (5) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;

(ख) यदि अभ्यर्थी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के प्रावधानों के अनुसार, महिला अभ्यथियों की उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जायेगी:–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी/अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी जो स्थायी या अस्थायी रूप से किसी स्थापना, स्थापना में कार्यभारित कर्मचारियों, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों सहित पद धारण कर रहा हो 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बंशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरन्तर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय मे अपना पंजीयन

कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 (तीन) वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ङ) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गो में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की अवधि तक निरन्तर नियोजित रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी किया गया हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो:–

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो और जिन्हें:–

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक;

(चार) उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी (सैनिक तथा सिविल) (जिसमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है);

(पॉच) अवकाश रिक्तियों पर 6 माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है;

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) परिवार कल्याण (योजना) कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 2 (दो) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग विकास विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान एवं महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी, सामान्य उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक छूट दी जायेगी।

(झ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, के लिए, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान–कमीशन्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ट) आयु सीमा के संबंध में, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(ठ) उपरोक्त उल्लिखित किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के अधीन आयु में छूट दिये जाने के उपरान्त, शासकीय सेवा हेतु पात्र होने के लिए अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टीप– (1) नियम 8 (घ) (एक) एवं (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, वे यदि आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्याग पत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेगी। विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(दो) **शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव :**– अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हतायें होनी चाहिए जैसा कि अनुसूची–तीन में दर्शित हैं।

(तीन) **फीसः**– अभ्यर्थी को शासन द्वारा विहित फ़ीस का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता.**– अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन में शामिल होने के लिये उसे निरर्हित माना जा सकेगा।

10. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध मे नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.– परीक्षा/चयन में शामिल होने के लिये अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी/चयन मंडल का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को जिसे नियुक्ति प्राधिकारी/चयन समिति द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया हैं, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

11. प्रतियोगिता परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती.– (1) **प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती–** अनुसूची–दो में उल्लिखित पदों में चयन के लिए, सीधी भर्ती द्वारा;

(एक) शासन या अन्य किसी शासकीय निकाय/मण्डल के माध्यम से लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जायेगी जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, समय–समय पर, विनिश्चित करे।

(दो) लिखित परीक्षा के पश्चात्, कौशल परीक्षा संचालन हेतु नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन समिति गठित किया जायेगा।

(तीन) लिखित प्रतियोगी परीक्षा में अभ्यर्थियों की मेरिट सूची के आधार पर पर्याप्त संख्या में अर्हकारी अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा।

(चार) लिखित एवं कौशल परीक्षा के आधार पर, चयन सूची तैयार कर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जायेगी।

(2) **चयन द्वारा भर्ती.–** (एक) अनुसूची–दो में दर्शायें गये अनुसार सेवा में सम्मिलित पदों पर भर्ती के लिये अभ्यर्थियों का चयन, ऐसे अंतरालों से किया जायेगा, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय–समय पर अवधारित करे;

(दो) सेवा में सम्मिलित पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर नामनिर्दिष्ट किये गये चयन समिति द्वारा, उनके साक्षात्कार द्वारा किया जायेगा।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो से संबंधित अभ्यर्थियों के लिये, सीधी भर्ती के प्रक्रम में पदों को, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण)

अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन 1994) में अंतर्विष्ट उपबधों तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार आरक्षित किया जायेगा।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थियों जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(5) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उन अभ्यर्थियों को जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो, उप–नियम (3) के अधीन, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(6) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम में 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे।

(7) ऐसे मामलों में, जहाँ सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया हो और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाता है कि आरक्षित पदों पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से, अपेक्षित अनुभव वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, वहां नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

(8) शारीरिक रूप से निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार आरक्षण लागू होगा।

12. चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची.– (1) चयन समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में व्यवस्थित एक सूची जो ऐसे स्तर से अर्हित हो, जैसा कि चयन समिति द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये चयन समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो, तैयार करेगा तथा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा। यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जायेगी।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिए कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि सरकार का ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

13. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.– (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए, तीन सदस्यों को मिलाकर एक समिति गठित की जायेगी.

परन्तु, इस उप-नियम के अधीन, समिति के गठन के प्रयोजन के लिये, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंधों का भी अनुसरण किया जायेगा।

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी जो साधारणतः एक वर्ष से अनधिक हो।

(3) समिति का कार्यकाल उसका गठन किए जाने से एक वर्ष या जब तक उसका पुनर्गठन न हो जाये इसमें से जो पहले है वही होगा।

(4) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति दी जायेगी।

(5) उप–नियम (3) में यथाविनिर्दिष्ट पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश के अनुसार होगी।

14. **पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तें.–** (1) समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होनें उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में, जिससे पदोन्नति की जानी है या शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किसी अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में) उतने वर्षो की सेवा, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो और जो उप–नियम (2) के उपबन्धों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण– पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति.– सबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जायेगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) पदोन्नति में आरक्षण, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबन्धों के अनुसार रहेगा।

(3) शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

15. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.–** (1) विभागीय पदोन्नति समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 14 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हे समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने हेतु पर्याप्त होगी।

(2) पद से पदोन्नति के लिये व्यक्तियों के चयन सूची तैयार करने के लिये निम्नानुसार मापदण्ड होगी–

(एक) तृतीय श्रेणी से तृतीय श्रेणी के उच्च वेतनमान में, तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी के उच्च वेतनमान में, द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी पर पदोन्नति वरिष्ठता–सह–उपयुक्ता के अनुसार किया जायेगा।

(दो) प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी के उच्च वेतनमान पर, पदोन्नति योग्यता–सह–वरिष्ठता के अनुसार किया जायेगा।

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अनुसार, चयन सूची की तैयारी के समय, सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम, अनुसूची–चार के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरण– ऐसे व्यक्ति का जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया है, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया है, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं किया जायेगा।

16. चयन सूची.– (1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची–चार के कॉलम (3) में उल्लिखित पदों से, अनुसूची–चार के कॉलम (4) में उल्लिखित पदों पर, सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी।

(2) पदोन्नति के लिये चयन सूची, सामान्यतः इसके तैयार किये जाने की तारीख से कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक विधिमान्य रहेगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, शासन के कहने पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

17. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.– (1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा–संवर्ग के पदों पर नियुक्ति उसी क्रम में की जायेगी, जिस क्रम में उनके नाम, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार सूची में आये हों।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की

कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिए उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो।

18. **परिवीक्षा.**— सेवा में सीधे अथवा पदोन्नति द्वारा भर्ती किया गया, प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

19. **निर्वचन.**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

20. **शिथिलीकरण.**— इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परन्तु, कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

21. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**— (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किये गये निर्देशों/आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

अनुसूची—एक

(नियम 5 देखिये)

वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	कुल पदों की संख्या	नियुक्ति प्राधिकारी	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	संयुक्त सचिव (सचिवालय सेवा)	1	राज्य शासन	प्रथम श्रेणी	37400—67000 + ग्रेड वेतन 8700
2	उप सचिव	8	—तदैव—	प्रथम श्रेणी	15600—39100 + ग्रेड वेतन 7600
3	अवर सचिव (अवर सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी — 01 तथा 01 पद पेंशन सेल हेतु)	60	—तदैव—	—तदैव—	15600—39100 + ग्रेड वेतन 6600
4	स्टॉफ आफिसर	10	—तदैव—	—तदैव—	15600—39100 + ग्रेड वेतन 6600
5	मुख्य लेखा अधिकारी	1	—तदैव—	—तदैव—	15600—39100 + ग्रेड वेतन 6600
6	शोध अधिकारी	1	—तदैव—	—तदैव—	15600—39100 + ग्रेड वेतन 6600 (वित्त सेवा से)
7	वरिष्ठ ग्रंथपाल	1	—तदैव—	—तदैव—	15600—39100 + ग्रेड वेतन 6600
8	ग्रंथपाल	2	—तदैव—	द्वितीय श्रेणी	15600—39100 + ग्रेड वेतन 5400
9	लेखा अधिकारी	1	—तदैव—	—तदैव—	15600—39100 + ग्रेड वेतन 5400
10	सुरक्षा अधिकारी	1	—तदैव—	—तदैव—	15600—39100 + ग्रेड वेतन 5400
11	सहायक ग्रंथपाल	1	—तदैव—	—तदैव—	9300—34800 + ग्रेड वेतन 4400
12	वरिष्ठ विश्लेषक	1	—तदैव—	—तदैव—	9300—34800 + ग्रेड वेतन 4400

13	अनुभाग अधिकारी	93	–तदैव–	–तदैव–	9300–34800 + ग्रेड वेतन 4400
14	निज सचिव	30	–तदैव–	–तदैव–	9300–34800 + ग्रेड वेतन 4400
15	निज सहायक	26	–तदैव–	तृतीय श्रेणी	9300–34800 + ग्रेड वेतन 4300
16	सहायक सुरक्षा अधिकारी	1	–तदैव–	–तदैव–	9300–34800 + ग्रेड वेतन 4300
17	सहायक ग्रेड–I	185	–तदैव–	–तदैव–	9300–34800 + ग्रेड वेतन 4300
18	केयर टेकर	1	–तदैव–	–तदैव–	9300–34800 + ग्रेड वेतन 4300
19	पेंट्री मैनेजर	1	–तदैव–	–तदैव–	9300–34800 + ग्रेड वेतन 4300
20	सहायक प्रोग्रामर	2	–तदैव–	–तदैव–	9300–34800 + ग्रेड वेतन 4300
21	सहायक लेखा अधिकारी	2	–तदैव–	–तदैव–	9300–34800 + ग्रेड वेतन 4200
22	कनिष्ठ विश्लेषक	1	–तदैव–	–तदैव–	5200–20200 + ग्रेड वेतन 2800
23	शीघ्रलेखक (अंग्रेजी)	4	–तदैव–	–तदैव–	5200–20200 + ग्रेड वेतन 2800
24	सहायक ग्रेड–II	184	–तदैव–	–तदैव–	5200–20200 + ग्रेड वेतन 2400
25	शीघ्रलेखक	58	–तदैव–	–तदैव–	5200–20200 + ग्रेड वेतन 2800
26	लेखापाल	3	–तदैव–	–तदैव–	5200–20200 + ग्रेड वेतन 2400
27	डाटा एन्ट्री आपरेटर	1	–तदैव–	–तदैव–	5200–20200 + ग्रेड वेतन 2400
28	केशियर	2	–तदैव–	–तदैव–	5200–20200 + ग्रेड वेतन 2400
29	विद्युत परिचारक	1	–तदैव–	–तदैव–	5200–20200 + ग्रेड वेतन 2400
30	सहायक टाइपराईटर मेकेनिक	1	–तदैव–	–तदैव–	5200–20200 + ग्रेड वेतन 2400 (सांख्येत्तर पद)

31	ग्रंथालय सहायक	2	–तदैव–	–तदैव–	5200–20200 + ग्रेड वेतन 2400
32	लिफ्ट आपरेटर	3	–तदैव–	–तदैव–	5200–20200 + ग्रेड वेतन 1900
33	केटलागर	1	–तदैव–	–तदैव–	5200–20200 + ग्रेड वेतन 1900
34	क्लासीफायर	1	–तदैव–	–तदैव–	5200–20200 + ग्रेड वेतन 1900
35	सहायक ग्रेड–III	370	–तदैव–	–तदैव–	5200–20200 + ग्रेड वेतन 1900
36	स्टेनो टायपिस्ट (हिन्दी)	63	–तदैव–	–तदैव–	5200–20200 + ग्रेड वेतन 1900
37	कुक	2	–तदैव–	–तदैव–	5200–20200 + ग्रेड वेतन 1900

अनुसूची–दो
(नियम 6 देखिये)

स.क्र.	विभाग का नाम	सेवा/पद का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
				सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6 (1) (क) देखिये)	पदोन्नति द्वारा (नियम 6 (1) (ख) देखिये)	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा (नियम 6 (1) (ग) देखिये)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	सामान्य प्रशासन विभाग (सचिवालय सेवा)	छत्तीसगढ़ सचिवालय सेवा					
1.		संयुक्त सचिव (सचिवालय सेवा)	1	—	100%	—	
2.		उप सचिव, कुल पद–41 (कुल पदों का 20% सचिवालय सेवा से तथा 80% अन्य सेवा से)	8	—	सचिवालय के स्थापना (सेटअप) में पदों का 20%	—	
3.		अवर सचिव, कुल पद–60 (कुल पदों का 70% सचिवालय सेवा से तथा 30% अन्य सेवा से)	60	—	(1) 60% अनुभाग अधिकारी से, (2) 10% स्टाफ आफिसर से	—	स्थापना (सेटअप) में स्थायी पदों का 60 प्रतिशत अनुभाग अधिकारियों से तथा स्थायी पदों का 10% स्टाफ आफिसर से (6 पद अनुभाग अधिकारियों से भरे जाने के पश्चात् 01 पद स्टाफ आफिसर

							द्वारा भरे जायेंगे, यह चक्रानुक्रम स्थिति होगी)
4.		स्टाफ आफिसर	10	–	100%	–	
5.		मुख्य लेखा अधिकारी	1	–	–	100% वित्त सेवा से	
6.		शोध अधिकारी	1	–	–	अन्य विभागों के अधिकारियों से	
7.		वरिष्ठ ग्रंथपाल	1	–	100%	–	–
8.		ग्रंथपाल	2	–	100%	–	–
9.		लेखा अधिकारी	1	–	–	100% वित्त सेवा से	
10.		सुरक्षा अधिकारी	1	–	–	गृह (पुलिस) विभाग से	
11.		सहायक ग्रंथपाल	1	–	100%	–	–
12.		वरिष्ठ विश्लेषक	1	–	–	अनुभाग अधिकारी से पदनामित	
13.		अनुभाग अधिकारी	93	–	100%	–	
14.		निज सचिव	30	–	100%		
15.		निज सहायक	26	–	100%	–	–
16.		सहायक सुरक्षा अधिकारी	1	–	–	गृह (पुलिस) विभाग से	
17.		सहायक ग्रेड– I	185	25% (सीमित विभागीय परीक्षा से)	75%	–	सहायक ग्रेड–I के कुल स्वीकृत पदों में से 25 प्रतिशत पदों को उन सहायक ग्रेड–II जो स्नातक हैं और 5 वर्षों की निरंतर सेवा कर चुके हैं।

18.		केयर टेकर	1	–	–	–	सहायक ग्रेड–I द्वारा केयर टेकर का कार्य किया जायेगा।
19.		पेंट्री मैनेजर	1	100% चयन द्वारा	–	–	–
20.		सहायक प्रोग्रामर	2	100% प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा	–	–	
21.		सहायक लेखा अधिकारी	2	–	–	100% वित्त सेवा से	
22.		कनिष्ठ विश्लेषक	1	–	–	–	सहायक ग्रेड–II द्वारा कनिष्ठ विश्लेषक का कार्य किया जायेगा
23.		शीघ्रलेखक (अंग्रेजी)	4	100% प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा	–	–	–
24.		सहायक ग्रेड–II	184	–	100%	–	
25.		शीघ्रलेखक	58	50% प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा	50%	–	–
26.		लेखापाल	3	–	–	–	लेखा प्रशिक्षित सहायक ग्रेड–II द्वारा कार्य किया जायेगा।
27.		डाटा एन्ट्री आपरेटर	1	100% प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा	–	–	–
28.		केशियर	2	–	–	–	लेखा प्रशिक्षित सहायक ग्रेड–II द्वारा कार्य किया जायेगा।
29.		विद्युत परिचारक	1	100% चयन द्वारा	–	–	

30.		ग्रंथालय सहायक	2	100% प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा	—	—	—
31.		लिफ्ट आपरेटर	3	100% चयन द्वारा	—	—	—
32.		केटलागर	1	100% चयन द्वारा	—	—	—
33.		क्लासीफायर	1	100% चयन द्वारा	—	—	—
34.		सहायक ग्रेड–III	370	75% प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा	—	—	25% चतुर्थ श्रेणी से नियुक्ति
35.		स्टेनो टायपिस्ट (हिन्दी)	63	100% प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा	—	—	—
36.		कुक	2	100% चयन द्वारा	—	—	—

अनुसूची–तीन
(नियम 8 देखिये)

स. क्र.	विभाग का नाम	सेवा/पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी अर्हताएं	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	सामान्य प्रशासन विभाग (सचिवालय सेवा)	छत्तीसगढ़ सचिवालय तृतीय श्रेणी सेवा				
1.		शीघ्रलेखक (हिन्दी)	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासी के लिये 35 वर्ष)	(1) मान्यता प्राप्त मण्डल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र या (10+2) उत्तीर्ण या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था या शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परिषद् से :– हिन्दी शीघ्रलेखन क्रमशः 100 शब्द प्रति मिनट तथा कम्प्यूटर में हिन्दी मुद्रलेखन 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिये। (3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा डाटा एन्ट्री का 10,000 (key) डिप्रेशन प्रति घंटा गति होना चाहिये।	
2.		शीघ्रलेखक (अंग्रेजी)	–तदैव–	–तदैव–	(1) मान्यता प्राप्त मण्डल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र या (10+2) उत्तीर्ण या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण।	

					(2) अंग्रेजी शीघ्रलेखन क्रमशः 100 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ तथा कम्प्यूटर से 35 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ अंग्रेजी मुद्रलेखन हो। मान्यता प्राप्त मण्डल / संस्था या शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परिषद् से। (3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा / प्रमाणपत्र तथा डाटा एन्ट्री का 10,000 (key) डिप्रेशन प्रति घंटा गति होना चाहिये।	
3.		पेन्ट्री मैनेजर	25	–तदैव–	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेण्ड्री परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण। (2) फुड एवं ब्रेवरेजेस में होटल मेनेजमेंट की डिग्री / डिप्लोमा अथवा प्रतिष्ठित होटल रेस्टोरेंट में 05 वर्ष कार्य का अनुभव।	
4.		सहायक प्रोग्रामर	21	–तदैव–	प्रथम श्रेणी में बी.ई. / बी.टेक. / बी.एस.सी. (इंजीनियरिंग) या स्नातक कम से कम कुल 60 प्रतिशत अंक अथवा समतुल्य श्रेणी। **अथवा** एम.सी.ए. / एम.सी.एम. / सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर, भौतिक शास्त्र / गणित / सांख्यिकीय / ऑपरेशन रिसर्च / अर्थशास्त्र / कम्प्यूटर साइंस में प्रथम श्रेणी में एम.एस.सी. / एम.ए. या स्नातक में कम से कम कुल 60 प्रतिशत अंक या समतुल्य श्रेणी। **अथवा** बी.सी.ए. / बी.सी.एम. / सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक, भौतिक	

					शास्त्र / गणित / सांख्यिकीय / ऑपरेशन रिसर्च / अर्थशास्त्र / बी.एस.सी. / बी.ए. कम्प्यूटर साइंस / कम्प्यूटर साइंस में कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या कम से कम कुल 60 प्रतिशत अंक या समतुल्य श्रेणी।	
5.		सहायक ग्रेड–I	–	–	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए जिन्होने सचिवालयीन सेवा में सहायक ग्रेड–II के पद पर 05 वर्षो की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो।	
6.		ग्रंथालय सहायक	21	–तदैव–	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक उपाधि प्राप्त तथा कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा / डिग्री।	
7.		स्टेनो टायपिस्ट	18	–तदैव–	(1) मान्यता प्राप्त मण्डल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र या (10+2) उत्तीर्ण या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण। (2) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल / संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट की गति से कम्प्यूटर में हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण साथ ही हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति। (3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा / प्रमाणपत्र तथा डाटा एन्ट्री का 5,000 की (key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिये।	

8.		सहायक ग्रेड–III	18	–तदैव–	(1) किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र; तथा (3) कम्प्यूटर में हिन्दी मुद्रलेखन का 5,000 की (key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति होना चाहिए।	
9.		डाटा एन्ट्री आपरेटर	21	–तदैव–	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण अथवा मण्डल से 10 वीं (10+2) उत्तीर्ण एवं किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा तथा कम्प्यूटर में डाटा एन्ट्री का हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8,000 की (key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति।	
10.		केटलागर	18	–तदैव–	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल या संस्था से हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण एवं पुस्तकालय विज्ञान में पत्रोपाधि के साथ कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा/डिग्री।	
11.		क्लासीफायर	18	–तदैव–	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल या संस्था से हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण एवं पुस्तकालय विज्ञान में पत्रोपाधि के साथ कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा/डिग्री।	

12.		लिफ्ट आपरेटर	18	—तदैव—	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल या संस्था से हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण एवं जिसके पास घरेलू वायरमेन का लाइसेंस हो या जो आई. टी.आई. में वायरिंग के कार्य में प्रशिक्षित हो।	
13.		विद्युत परिचारक	18	—तदैव—	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल या संस्था से हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण एवं जिसके पास घरेलू वायरमेन का लाइसेंस हो या जो आई. टी.आई. में वायरिंग के कार्य में प्रशिक्षित हो।	
14.		कुक	18	—तदैव—	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल या संस्था से हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण एवं पाकशाला का ज्ञान।	

अनुसूची–चार

(नियम 6 एवं 14 देखिये)

क्र.	सेवा का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी हो	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी हो	पद के लिये पात्रता हेतु न्यूनतम अनुभव की कालावधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	छत्तीसगढ़ सचिवालय सेवा	उप सचिव	संयुक्त सचिव	3 वर्ष	मुख्य सचिव द्वारा समय–समय पर नामांकित किये जायेंगे।
2.		अवर सचिव	उप सचिव	3 वर्ष	मुख्य सचिव द्वारा समय–समय पर नामांकित किये जायेंगे।
3.		अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव	5 वर्ष	मुख्य सचिव द्वारा समय–समय पर नामांकित किये जायेंगे।
4.		निज सचिव	स्टॉफ आफिसर	5 वर्ष	मुख्य सचिव द्वारा समय–समय पर नामांकित किये जायेंगे।
5.		ग्रंथपाल	वरिष्ठ ग्रंथपाल	5 वर्ष	मुख्य सचिव द्वारा समय–समय पर नामांकित किये जायेंगे।
6.		सहायक ग्रंथपाल	ग्रंथपाल	5 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के भारसाधक सचिव द्वारा समय–समय पर नामांकित किये जायेंगे।
7.		सहायक ग्रेड–I	अनुभाग अधिकारी	5 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के भारसाधक सचिव द्वारा समय–समय पर नामांकित किये जायेंगे।

8.		निज सहायक	निज सचिव	5 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के भारसाधक सचिव द्वारा समय–समय पर नामांकित किये जायेंगे।
9.		शीघ्रलेखक	निज सहायक	5 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के भारसाधक सचिव द्वारा समय–समय पर नामांकित किये जायेंगे।
10.		स्टेनो टायपिस्ट	शीघ्रलेखक	5 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के भारसाधक सचिव द्वारा समय–समय पर नामांकित किये जायेंगे।
11.		सहायक ग्रेड–II	सहायक ग्रेड–I	5 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के भारसाधक सचिव द्वारा समय–समय पर नामांकित किये जायेंगे।
12.		सहायक ग्रेड–III	सहायक ग्रेड–II	5 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के भारसाधक सचिव द्वारा समय–समय पर नामांकित किये जायेंगे।
13.		ग्रंथालय सहायक	सहायक ग्रंथपाल	5 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के भारसाधक सचिव द्वारा समय–समय पर नामांकित किये जायेंगे।

रायपुर, दिनांक 30 जून 2012

क्रमांक एफ 3-2/2011/1-8 स्था.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30-06-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 30th June 2012.

NOTIFICATION

No. F-3-2/2011/1-8/Estt.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules, relating to the recruitment to the Chhattisgarh Secretariat Service, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.**— (1) These Rules may be called the Chhattisgarh Secretariat Service Recruitment Rules, 2012.
(2) These rules shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**— In these rules, unless the context otherwise requires,—
(a) "Appointing Authority" with respect to any post in the service means the authority empowered under the Chhattisgarh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966 to make appointments to that post (as specified in column (4) of Schedule-I) ;
(b) "Examination" means competitive examination held for recruitment to the service under rule-11 of these rules ;
(c) "Government" means the Government of Chhattisgarh ;
(d) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh ;
(e) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F. 8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984 as amended from time to time ;
(f) "Schedule" means a Schedule appended to these rules ;
(g) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article-341 of the Constitution of India ;
(h) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article-342 of the Constitution of India ;
(i) "Selection Committee" means the Selection Committee approved by the Government ;
(j) "Service" means the Chhattisgarh Secretariat Service ;
(k) "State" means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and Application.**—Without prejudice to the generality of the provisi s contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, t se Rules shall apply to every member of the Service.

4. **Constitution of the Service.**– The service shall consist of the following persons, namely:-
   (a) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively or in an officiating capacity the posts specified in Schedule-I ;
   (b) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and
   (c) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification scale of pay, etc.**.– The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, form time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of recruitment.**– (1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely :-
   (a) By direct recruitment through competitive examination/selection;
   (b) By promotion of the members of the service as specified in column (3) of Schedule-IV;
   (c) By transfer of the persons, who hold in a substantive/officiating capacity such posts in such services, as may be specified in this behalf.

   (2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time, exceed the percentage as shown in Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.

   (3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Government.

   (4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government the exigencies of the service so require, the Government may, with the prior concurrence of the General Administration Department, adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) For the purpose of filling up posts by direct recruitment after written examination, a selection committee shall be formed who shall be able to fix norms, apply those norms and any other appropriate norms with the consent of the Government.

(6) At the time of recruitment, the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the direction issued by the General Administration Department from time to time shall also be applicable.

7. **Appointment to the service.**– All appointments in the service after the commencement of these rules, shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.**– In order to be eligible to compete at the examination/selection for direct recruitment, a candidate must satisfy the following conditions, namely :-

(I) Age – (a) A candidate must have attained the age as specified in column (4) of Schedule-III and not have attained the age as specified in column (5) of the said Schedule on the first day of January next following the date of commencement of the examination/ selection;

(b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 5 years, if a candidate belongs to a Scheduled Castes or a Scheduled Tribes and Other Backward Classes;

(c) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 10 years to the women candidates as per provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997;

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of the candidates, who are or have been employees of the Government of Chhattisgarh to the extent and subject to the condition specified below :-

(i) A candidate, who is a permanent/temporary Government servant should not be more than 38 years of age;

(ii) A candidate holding a post on any establishment, including work charged establishment, contingency paid staff and employees working in project implementing committees in a permanent or temporary capacity should not be more than 38 years of age.

(iii) A candidate, who is a "retrenched Government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

Explanation– The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government Service of this State or of any of the constituent units for a continuous period of not less than 6 months and who was discharged because of reduction in establishment not more than 3 years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

(e) A candidate, who is an ex-servicemen shall be allowed to deduct from his age the period of all defence services previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

Explanation– The term 'Ex-Servicemen' denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than 6 months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than 3 years before the date of his registration at any Employment Exchange or of application made otherwise for employment in Government Service, namely :-

(i) Ex-servicemen released under mustering out concession;
(ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on-
 (a) completion of short-term engagement ;
 (b) fulfilling the conditions of enrollment.
(iii) Ex-personnel of Madras Civil Units;
(iv) Officer (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service Regular Commissioned Officers);
(v) Officer, discharged after working for more than 6 months continuously against leave vacancies;
(vi) Ex-servicemen invalidated out of service;
(vii) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;
(viii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds, etc.

(f) The upper age limit shall also be relaxable up to 2 years in respect of Green Card holder candidates under the Family Welfare (Planning) Programme.

(g) The upper age limit shall be relaxable up to 5 years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the Inter-caste Marriage Incentive Scheme of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Development Department.

(h) The general upper age limit shall also be relaxable up to a maximum of 5 years in respect of the Shahid Rajiv Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveerchandra Bhanjdev Award holder candidates and National Youth Award holder Young Candidates.

(i) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 38 years of age in respect of the candidates, who are employees of the Chhattisgarh State Corporations/Boards.

(j) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of Home Guard Service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

(k) In respect of age limit, the direction issued by the General Administration Department from time to time, shall also be applicable.

(l) In any case the maximum age to get eligible for Government Service shall not exceed 45 years, irrespective of age relaxation under one or more than one category mentioned above.

Note– (1) Candidates who are admitted to the examination/selection, under the age concessions mentioned in rule 8 (d)(i) and (ii) shall not be eligible for appointment, if after submitting the application, they resign from service either before or after the examination/ selection. They shall, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications.

(2) In no other case shall these age limits be relaxed. The Departmental candidates must obtain previous permission of their Appointing Authority to appear for the examination/selection.

(II) Educational Qualifications and Experience- The candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule-III.

(III) Fees- The candidate must pay the fees as prescribed by the Government.

9. Disqualifications.– Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority to disqualify him for appearing in the examination/selection.

10. Appointing Authority's decision about the eligibility of the candidate shall be final.– The decision of the Appointing Authority/Selection Committee as to the eligibility or otherwise of the candidate for appearing in examination/selection shall be final and no candidate, to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority/Selection Committee shall be allowed to appear in the examination/interview.

11. Direct recruitment by competitive examination/selection.– (1) Direct recruitment by competitive examination– (i) For selection to the posts as mentioned in Schedule-II, by direct recruitment, a written competitive examination through the Government or any other Government Agency/ Board shall be taken as decided by the Appointing Authority from time to time.

(ii) A Selection Committee shall be formed by Appointing Authority for conducting efficiency test after the written examination.

(iii) On the basis of merit list of candidates in written competitive examination, sufficient number of qualifying candidates shall be invited for efficiency test.

(iv) Select list shall be prepared on the basis of written and efficiency tests and selected candidates shall be appointed.

(2) Appointment by Selection- (i) The selection of candidates for recruitment to the posts included in the service as shown in Schedule-II, shall be held at such intervals as the Appointing Authority may from time to time, determine.

(ii) The selection of candidates for the posts included in the service shall be made by interviewing them by the Selection Committee, to be nominated by the Appointing Authority from time to time.

(3) There shall be reserved post for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, at the stage of direct recruitment, in accordance with the provisions contained in the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargaon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and orders issued by the Government from time to time.

(4) In filling up the vacancies so reserved, the candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list, referred to in rule 12, irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes declared by the Appointing Authority to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be under sub-rule (3).

(6) At the stage of direct recruitment, 30 percent posts shall be reserved for the women candidates in accordance with the provision of Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

(7) In such cases, where certain period of experience has been prescribed as an essential condition for the posts to be filled by direct recruitment and in the opinion of the Appointing Authority, it is found that the sufficient

number of the candidate belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, with the requisite experience, is not likely to be available for recruitment on the reserved posts, then the Appointing Authority may relax the condition of experience to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(8). Reservation for the physically handicapped candidates shall be applicable as per the direction issued by the General Administration Department from time to time.

12. List of candidates recommended by the Selection Committee.– (1) The Selection Committee shall prepare and forward a list to the Appointing Authority arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards, as may be determined by the Selection Committee and a list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by the such standard, but are declared by the Selection Committee to be suitable for appointment to the service, with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.
(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Services) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.
(3) The inclusion of a candidates name in the list confers no rights to appointment unless the Government is satisfied after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

13. Appointment by promotion.– (1) There shall be constituted a Committee, consisting of three members for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that for the purpose of constitution of the Committee under this sub-rule, the provisions of Section 8 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) shall also be adhered to.

(2) The Committee shall meet at such intervals ordinarily not exceeding one year.
(3) Tenure of Committee is for one year from its formation or its reconstitution whichever occur first.
(4) Promotion shall be made in accordance with the provision of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.
(5) Procedure for making promotion as specified in sub-rule (3) shall be made in accordance with the instructions issued by the Government of Chhattisgarh, General Administration Department from time to time.

14. Conditions of Eligibility for Promotion.– (1) The Committee shall consider the cases of all persons, who on the 1st day of January of that year had completed such number of years of the service, (whether officiating or substantive) in the posts, from which promotion is to be made or any other post or posts declared equivalent thereto by the Government, as specified in column (5) of Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation - (1) Manner of computation for eligibility for promotion - The calculation of period of qualifying service on 1st January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee /Screening Committee is convened shall be counted from the calendar year in which the public servant has joined the feeder cadre/part of the service/ pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/ part of the service/ pay scale of the post.

(2) The reservation in promotion shall be made in accordance with the provision of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(3) Promotion shall be made as per reservation roster prescribed by the Government.

15. Preparation of list of suitable candidates.– (1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in rule 14 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service, the list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and the promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list.

(2) For preparing the select list of persons for promotion from the post, the criteria shall be as under -

(i) from the Class-III to higher pay-scale of Class-III, Class-III to Class-II, Class-II to higher pay-scale of Class-II, Class-II to Class-I, promotion shall be made as per seniority subject to fitness.

(ii) from Class-I to higher pay-scale of Class-I, promotion shall be made as per merit-cum-seniority.

(3) The names of employees included in the list shall be arranged in order of seniority in the service or posts as specified in column (3) of Schedule-IV at the time of preparation of select list as per Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961.

Explanation – The person, whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those persons considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

16. Select List.– (1) The list as finally approved by the Appointing Authority shall be the Select List for promotion of the members of the service from the posts mentioned in column (3) of Schedule-IV to the post mentioned in column (4) of Schedule-IV.

(2) The select list for promotion shall be ordinarily valid for 31st December of the calendar year form the date of its preparation:

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government and he may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

17. Appointment to the service from the select list.– (1) Appointments of the persons included in the select list shall be made to the posts borne on the cadre in the order in which their names appear in the list in accordance with the provision of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Committee before appointment of a person, whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment, there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable of appointment to the service.

18. Probation.– Every person recruited directly or by promotion to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

19. Interpretation.– If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to Government, whose decision thereon shall be final.

20. Relaxation.– Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner, as may appear to it to be just and proper:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

21. Repeal and Saving.– (1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

(2) Nothing contained in these rules shall affect reservation, relaxation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the instructions/orders issued by the State Government from time to time in this regard.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
XAVIER TIGGA, Joint Secretary.

SCHEDULE- I

(See Rule 5)

Classification, Scale of pay and number of post included in the Service

S. No.	Name of the post included in the service	Total number of posts	Appointing Authority	Classification	Pay-scale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Joint Secretary (Secretariat Service)	1	State Government	Class-I	37400-67000 + Grade pay 8700
2.	Deputy Secretary	8	-do-	Class-I	15600-39100 + Grade pay 7600
3.	Under Secretary (Under Secretary/Officer On special duty-01 and 01 post for pension cell)	60	-do-	Class-I	15600-39100 + Grade pay 6600
4.	Staff Officer	10	-do-	-do-	15600-39100 + Grade pay 6600
5.	Chief Accounts Officer	1	-do-	-do-	15600-39100 + Grade pay 6600
6.	Research Officer	1	-do-	-do-	15600-39100 + Grade pay 6600 (From Finance Services)
7.	Senior Librarian	1	-do-	-do-	15600-39100 + Grade pay 6600
8.	Librarian	2	-do-	Class-II	15600-39100 + Grade pay 5400
9.	Accounts Officer	1	-do-	-do-	15600-39100 + Grade pay 5400
10.	Security Officer	1	-do-	-do-	15600-39100 + Grade pay 5400
11.	Assistant Librarian	1	-do-	-do-	9300-34800 + Grade pay 4400
12.	Senior Analyst	1	-do-	-do-	9300-34800 + Grade pay 4400
13.	Section Officer	93	-do-	-do-	9300-34800 + Grade pay 4400
14.	Private Secretary	30	-do-	-do-	9300-34800 + Grade pay 4400
15.	Private Assistant	26	-do-	Class-III	9300-34800 + Grade pay 4300
16.	Assistant Security Officer	1	-do-	-do-	9300-34800 + Grade pay 4300
17.	Assistant Grade-I	185	-do-	-do-	9300-34800 + Grade pay 4300
18.	Care taker	1	-do-	-do-	9300-34800 + Grade pay 4300
19.	Pantry Manager	1	-do-	-do-	9300-34800 + Grade pay 4300

20.	Assistant Programmer	**2**	-do-	-do-	9300-34800 + Grade pay 4300
21.	Assistant Accounts Officer	**2**	-do-	-do-	9300-34800 + Grade pay 4200
22.	Junior Analyst	**1**	-do-	-do-	5200-20200 + Grade pay 2800
23.	Stenographer(English)	**4**	-do-	-do-	5200-20200 + Grade pay 2800
24.	Assistant Grade-II	**184**	-do-	-do-	5200-20200 + Grade pay 2400
25.	Stenographer	**58**	-do-	-do-	5200-20200 + Grade pay 2800
26.	Accountant	**3**	-do-	-do-	5200-20200 + Grade pay 2400
27.	Data Entry Operator	**1**	-do-	-do-	5200-20200 + Grade pay 2400
28.	Cashier	**2**	-do-	-do-	5200-20200 + Grade pay 2400
29.	Electricity Attendant	**1**	-do-	-do-	5200-20200 + Grade pay 2400
30.	Assistant Typewriter Mechanic	**1**	-do-	-do-	5200-20200 + Grade pay 2400 (supernuary)
31.	Library Assistant	**2**	-do-	-do-	5200-20200 + Grade pay 2400
32.	Lift Operator	**3**	-do-	-do-	5200-20200 + Grade pay 1900
33.	Cataloger	**1**	-do-	-do-	5200-20200 + Grade pay 1900
34.	Classifier	**1**	-do-	-do-	5200-20200 + Grade pay 1900
35.	Assistant Grade-III	**370**	-do-	-do-	5200-20200 + Grade pay 1900
36.	Steno-typist (Hindi)	**63**	-do-	-do-	5200-20200 + Grade pay 1900
37.	Cook	**2**	-do-	-do-	5200-20200 + Grade pay 1900

SCHEDULE- II

(See rule 6)

S. No.	Name of the Department	Name of Service/ Post	Total number of duty posts	Percentage of the number of duty posts to be filled in			Remarks
				by direct recruitment [See rule 6(1)(a)]	By promotion [See rule 6(1)(b)]	by transfer of persons from other services i.e transfer /deputation [See rule 6(1)(c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	General Administration Department (Secretariat Service)	Chhattisgarh Secretariat Service					
1.		Joint Secretary (Secretariat Services)	1	–	100 %	–	
2.		Deputy Secretary- Total posts-41(20% of total posts from Secretariat Services and 80% from other services)	8	–	20 % of the posts in Secretariat Establishment (Setup)		
3.		Under Secretary- Total posts-60 (70% of total posts from Secretariat Services and 30% from other services)	60	–	(i) 60 % from Section Officer (ii) 10 % from Staff Officer		60% of the permanent posts from Section Officer and 10% of the permanent posts from Staff Officer in the Establishment (Set-up) (After filling the 6 posts from the Section Officers, 01 post will be filled by Staff Officer, this is the cyclic position)

4.	Staff Officer	10	–	100%		
5.	Chief Accounts Officer	1	–		100 % from finance services	
6.	Research Officer	1	–	–	Officers from other Departments	
7.	Senior Librarian	1	–	100 %	–	–
8.	Librarian	2	–	100%	–	–
9.	Accounts Officer	1	–	–	100 % from finance services	
10.	Security Officer	1	–	–	From Home(Police) Department	
11.	Assistant Librarian	1	–	100 %	–	--
12.	Senior Analyst	1	–	–	Designated from Section Officer	
13.	Section Officer	93	–	100 %	–	
14.	Private Secretary	30	–	100 %		
15.	Private Assistant	26	–	100 %		–
16.	Assistant Security Officer	1	–	–	From Home(Police) Department	
17.	Assistant Grade-I	185	25 % (from limited Departmental Examination)	75 %	–	Out of total sanctioned posts of Assistant Grade-I, 25 percent of posts will be filled by those Assistant Grade-II who are graduate and rendered 5 years continuous service.
18.	Care Taker	1	–	–	–	Care taker work will be done by Assistant Grade-I

19.	Pantry Manager	1	100 % by selection	–	–	
20.	Assistant Programmer	2	100 % by competitive examination	–	–	
21.	Assistant Accounts Officer	2	–	–	100 % from finance services	
22.	Junior Analyst	1	–	–	–	Junior Analyst work will be done by Assistant Grade-II
23.	Stenographer **(English)**	4	100 % by competitive examination	–	–	–
24.	Assistant Grade-II	184	–	100 %	–	
25.	Stenographer	58	50 % by competitive examination	50%	–	–
26.	Accountant	3	–	–	–	Account trained work will be done by Assistant Grade-II
27.	Data Entry Operator	1	100 % by competitive examination	–	–	–
28.	Cashier	2	–	–		Account trained work will be done by Assistant Grade-II
29.	Electricity Attendant	1	100 % by selection	–	–	
30.	Library Assistant	2	100 % by competitive examination	–	–	–
31.	Lift Operator	3	100 % by selection	–	–	–
32.	Cataloger	1	100 % by selection	–	–	–
33.	Classifier	1	100 % by selection	–	–	–
34.	Assistant Grade-III	370	75 % by competitive examination	–	–	25% appointment from Class-IV

35.		Steno Typist (Hindi)	63	100 % by competitive examination	–	–	–
36.		Cook	2	100 % by selection	–	–	

SCHEDULE- III

(See rule 8)

S No.	Name of Department	Name of Service/Post	Minimum age limit	Maximum age limit	Minimum Educational / Technical Qualifications	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	General Administration Department (Secretariat Service)	**Chhattisgarh Secretariat Class-III Service**				
1		Stenographer (Hindi)	18 Years	30 Years (35 years for domicile resident of Chhattisgarh State)	(i) Should have passed Higher Secondary School Certificate Examination or (10+2) recognized Board or passed First year examination of Graduation Course from any recognized University. (ii) From a recognized Board/ Institute or Stenography and Typing Council - Should have passed Hindi Stenography 100 words per minute and Hindi Typing in computer 30 words per minute examination respectively. (iii) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute and speed of Data Entry 10,000 (key) depression per hour is essential.	
2.		Stenographer (English)	..do..	..do..	(i) Should have passed Higher Secondary School Certificate Examination or (10+2) recognized Board or passed First year examination of Graduation Course from the any recognized University. (ii) Should have passed English Stenography with speed of 100 words per minute and Computer English Typing with speed of 35 words per minute respectively. from a recognized Board/ Institute or Stenography and Typing Council. (iii) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and speed of Data Entry 10,000 (Key) depression per hour is essential.	

3.		Pantry Manager	25	..do..	(i) Should have passed Higher Secondary Exam (10+2) from any recognized Board (ii) Degree/Diploma of Hotel Management in food and bewareges or 05 years working experience at reputed Hotel Restaurant.	
4.		Assistant programmer	21	..do...	B.E/B.Tech./B.Sc (Engineering) in Ist division or at least 60 percent marks in aggregate or equivalent grade. **OR** Post Graduate in M.C.A/M.C.M./ Information Technology, M.Sc./M.A in first division in Physics/ Mathematics/Statistics/Operation Research/Economics/Computer Science or at least 60% marks in aggregate or equivalent grade. **OR** Graduate in B.C.A/B.C.M./ Information Technology, Post Graduate Degree in 1st division in Physics/ Maths/ Statistics/ Operation Research/ Economics/ B.Sc./B.A. Computer Science/Post Graduate Diploma in Computer Application in Computer Science or at least 60 percent marks in aggregate or equivalent grade.	
5.		Assistant Grade-I	–	–	Should have Graduate from a recognized University, only for those persons who have completed 5 years of regular Service on the post of Assistant Grade-II in Secretariat Service.	
6.		Library Assistant	21	..do..	Should have Graduate Degree in Library Science from any recognized University and Diploma/ Degree in Computer Application.	
7.		Steno-typist	18	..do..	(i) Should have passed Higher Secondary School Certificate Examination or (10+2) recognized Board or passed First year examination of Graduation Course from the any recognized University. (ii) Should have passed Computer Hindi Typing examination with speed of 25 words per minute along with	

					speed of 60 words per minute in Hindi Stenography from any recognized Board/Institute. (iii) Should have one year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute and speed of Data Entry 5,000 key depression per hour is essential.	
8.		Assistant Grade-III	18	..do..	(i) Should have passed (10+2) examination from any recognized Board (ii) Should have one year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute; and (iii) Should have speed of Data Entry 5,000 (Key) depression per hour in computer typing is essential.	
9.		Data Entry Operator	21	..do..	(i) Should have passed Higher Secondary Examination (10+2) from any recognized Board OR 10th (10+2) Passed from Board and 3 year diploma in any subject. (ii) Should have one year Diploma in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and speed of Data Entry in Hindi and English in computer 8,000 (key) depression per hour is essential.	
10.		Cataloger	18	..do..	Should have passed Higher Secondary Examination (10+2) from any recognized Board or Institution and diploma in Library Science with diploma/degree in computer application	
11.		Classifier	18	..do..	Should have passed Higher Secondary Examination (10+2) from any recognized Board or Institution and diploma in Library Science with diploma/degree in computer application.	
12.		Lift Operator	18	..do..	Should have passed Higher Secondary Examination (10+2) from any recognized Board or Institution with domestic wiremen license or trained in work of wiring in I.T.I.	

13.		Electricity Attendant	18	.do.	Should have passed Higher Secondary Examination (10+2) from any recognized Board or Institution with domestic wiremen license or trained in work of wiring in I.T.I.	
14.		Cook	18	..do..	Should have passed Higher Secondary Examination (10+2) from any recognized Board or Institution and knowledge of Kitchen .	

SCHEDULE- IV

(See rule 6 and 14)

S No	Name of the Service	Name of service or post from which promotion is to be made	Name of service or post on which promotion is to be made	Minimum experience period for eligibility for post	Name of Member of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Chhattisgarh Secretariat Service	**Deputy Secretary**	**Joint Secretary**	**3 Years**	To be nominated by the Chief Secretary from time to time.
2.		**Under Secretary**	**Deputy Secretary**	**3 Years**	To be nominated by the Chief Secretary from time to time.
3.		**Section Officer**	**Under Secretary**	**5 Years**	To be nominated by the Chief Secretary from time to time.
4.		**Personal Secretary**	**Staff Officer**	**5 Years**	To be nominated by the Chief Secretary from time to time.
5.		**Librarian**	**Senior Librarian**	**5 Years**	To be nominated by the Chief Secretary from time to time.
6.		**Assistant Librarian**	**Librarian**	**5 Years**	To be nominated by the Officiating Secretary of General Administration Department from time to time.
7.		**Assistant Grade-I**	**Section Officer**	**5 Years**	To be nominated by the Officiating Secretary of General Administration Department from time to time.
8.		**Personal Assistant**	**Personal Secretary**	**5 Years**	To be nominated by the Officiating Secretary of General Administration Department from time to time.

9.		**Stenographer**	**Personal Assistant**	**5 Years**	To be nominated by the Officiating Secretary of General Administration Department from time to time.
10.		**Steno Typist**	**Stenographer**	**5 Years**	To be nominated by the Officiating Secretary of General Administration Department from time to time.
11.		**Assistant Grade-II**	**Assistant Grade-I**	**5 Years**	To be nominated by the Officiating Secretary of General Administration Department from time to time.
12.		**Assistant Grade-III**	**Assistant Grade-II**	**5 Years**	To be nominated by the Officiating Secretary of General Administration Department from time to time.
13.		**Library Assistant**	**Assistant Librarian**	**5 Years**	To be nominated by the Officiating Secretary of General Administration Department from time to time.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.